भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2238
बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता</u>

2238. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना हेतु कितनी भूमि उपलब्ध है;

(ख) क्या कृषि प्रकाशवोल्टीय (पीवी) प्रणाली कृषि हेतु उपजाऊ मृदा का परिरक्षण करते हुए अथवा प्रजाति-समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के सृजन के साथ-साथ भूमि दक्षता में संभावित रूप से वृद्धि कर सकती है और पीवी विद्युत का विस्तार कर सकती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भारत में कृषि प्रकाशवोल्टीय प्रणाली आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार परित्यक्त ताप विद्युत संयंत्र स्थलों पर सौर प्रकाशवोल्टीय परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए 0.3 मिलियन हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। भारत में लगभग 329 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षेत्र उपलब्ध को देखते हुए अनुमान है कि यह कोई तत्काल बाधा नहीं है।

(ख) और (ग): जी, हाँ। केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (सीएजेडआरआई), जोधपुर जैसे संस्थानों की रिपोर्टों के अनुसार, यह पाया गया है कि कृषि पीवी से सिंचाई में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप वाष्प उत्सर्जन में आई कमी के कारण भूमि की उर्वरता में वृद्धि हुई है तथा मृदा का संरक्षण हुआ है।

वर्तमान में पीएम-कुसुम योजना का घटक-क किसानों को अपनी भूमि पर स्टिल्ट तरीके (जिसे एग्रीवोल्टेक्स भी कहा जाता है) में विकेन्द्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने की अनुमति देता है।

(घ) और (ङ): कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं।

*****